प्रेस विज्ञप्ति

18/03/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इलाहाबाद सब-ज़ोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत पीएनबी घोटाला, विकास भवन, गोरखपुर मामले की अपनी जांच के क्रम में 1.76 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की 6 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियां कानपुर, फतेहपुर, गोरखपुर और वाराणसी, उत्तर प्रदेश में स्थित कृषि भूमि, मकान और फ्लैट के रूप में हैं।

ईडी ने सीबीआई, लखनऊ, उत्तर प्रदेश की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत श्यामा नंद चौबे और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। प्राथमिकी में आरोपी व्यक्तियों द्वारा 4.4 करोड़ रुपये की राशि गबन करने का आरोप लगाया गया।

ईडी की जांच में पता चला कि तत्कालीन शाखा प्रबंधक श्यामा नंद चौबे और कई मौजूदा खाताधारकों ने समानांतर बैंकिंग में लिप्त होकर, फर्जी खाते खोलकर तथा बैंक के पैसे को अवैध रूप से अपने खातों में अंतरित करके अवैध मौद्रिक लाभ प्राप्त किया। एसएन चौबे ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर बैंक के डमी/संग्रह खातों में पड़े विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत सरकारी धन का गबन किया और उसे पार्टियों के विभिन्न जमा/ऋण खातों में अंतरित कर दिया, जिसे बाद में अन्य खातों में अंतरित कर दिया गया या उनके द्वारा नकद निकाल लिया गया। साथ ही, शाखा प्रबंधक ने बिना पूर्व अनुमोदन और उचित प्रक्रियाओं का पालन किए विभिन्न व्यक्तियों/संस्थाओं को ऋण जारी किए। उन्होंने ऋण, डिमांड ड्राफ्ट और खाता हस्तांतरण के माध्यम से ऐसा किया, जिनमें से कोई भी विधिवत अनुमोदित नहीं था। ऐसा करके, उन्होंने गलत तरीके से स्वीकृत ऋणों में रिश्वत/हिस्सेदारी के रूप में कमीशन प्राप्त किया। प्रबंधक ने कई खाताधारकों को उनकी पूर्व सहमति के बिना उनके खातों से पैसे ट्रांसफर करके धोखा दिया है।

ईडी द्वारा कुल 1.76 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया गया है और शेष अपराध की आय (पीओसी) का पता लगाने के लिए जांच जारी है।